समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 20-10-2016 को मॉनिटरिंग कोषांग की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग एवं सोशल एक्टिविस्टों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखण्ड में दशहरा एवं मुहर्रम पर्व के दौरान हुए साम्प्रदायिक तनाव के मद्देनजर यह पाया गया कि इंटरनेट एवं मोबाईल के द्वारा विभिन्न मीडिया ग्रुप यथा-फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि के माध्यम से अफवाहों को फैलाया गया, जिससे विधि-व्यवस्था संधारण में समस्या उत्पन्न हुई, जिससे साम्प्रदायिक तनाव एवं गतिरोध बढ़ा। इस क्रम में छापामारी के दौरान जब्त किए गए मोबाईलों की जांच की गयी, जिसमें उक्त तथ्य को सत्य पाया गया।

तत्पश्चात् इंटरनेट द्वारा जिले में क्रियाशील सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग हेतु मॉनिटरिंग कोषांग का गठन जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा के संयुक्त आदेश ज्ञापांक-2520 /गो0, दिनांक 18-10-2016 एवं आदेश ज्ञापांक-2532 /गो0, दिनांक 19-10-2016 के द्वारा किया गया, जिस पर विभिन्न स्त्रोतों से दूरभाष पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

अतएव उक्त बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि :-

1. फेसबुक और वाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन, जो मधेपुरा जिले के अन्तर्गत क्रियाशील है, की जिम्मेवारी होगी कि अगर उनके ग्रुप में उत्तेजक धार्मिक एवं जातीय पोस्ट, कमेंट, फोटो, विडियो आदि को अपलोड, शेयर या फारवर्ड होता है, जिससे विधि-व्यवस्था बाधित होती है या बाधित होने की संभावना हो, तो ऐसा करने वाले का स्क्रीन शॉट लेकर विभाग द्वारा निर्गत मोबाईल नं0 9955948775 पर या फेसबुक पेज मधेपुरा मॉनिटर पर अविलम्ब सूचित करेंगे।
2. ऐसी सूचनादाता एडमिन या सदस्य का नाम व पता प्रशासन के द्वारा गुप्त रखा जाएगा।
3. अगर एडमिन द्वारा समय पर यह सूचना उपरोक्त नम्बर पर नहीं दी जाती है, तो ऐसे एडमिन के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. प्रशासन एवं पुलिस की तकनीकी सेल और साइबर क्राइम या स्पेशल टीम इंटरनेट द्वारा जिले में क्रियाशील फेसबुक, वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है।

तदनुसार जिलाधिकारी, मधेपुरा तथा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में निर्गत किए गए पूर्व के संयुक्त आदेश ज्ञापांक-2520 /गो0, दिनांक 18-10-2016 एवं आदेश ज्ञापांक-2532 /गो0, दिनांक 19-10-2016 को विलोपित किया जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

20.10.16

पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा। 20/10/16

ज्ञापांक 2536 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 20/10/2016

प्रतिलिपि : जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त सभी संबंधित पदाधिकारी /कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी स्थानीय प्रेस, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

20.10.16

पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा। 20/10/16